

न्यायालय:-जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर

-:सार्वजनिक सूचना:-

सूचना- अन्तर्गत सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी)

2018 के आदेश 20 नियम 39

प्रकरण सं.-13/1973

अनवान-भारत कारपेट लिमिटेड बनाम स्टेट वूलन मिल्स।

तारीख फैसला-22.12.1973

मालखाना संख्यां-11/1973

डबल लॉक मालखाना आर्डिटम-एक चैक, राशि रु-50,000/-

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर के आदेशांक सिविल/2026/603 दिनांक 29.07.2026 की अनुपालना में एवं निर्देशानुसार यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपर्युक्त उल्लिखित प्रकरण में जिला न्यायालय, बीकानेर के केन्द्रीयकृत डबल लॉक मालखाना में एक चैक, राशि रु-50,000/- रु पचास हजार मात्र का जो प्रार्थी/वादी भारत कारपेट लि., 28-बी, क्नाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया था, चूकि प्रकरण में अन्तिम निर्णय हो चुका है जिसके संबंध में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर द्वारा आदेशित किया गया है कि उक्त चैक प्रार्थी/वादी भारत कारपेट लिमिटेड, 28-बी, क्नाट प्लेस, नई दिल्लीको लौटा दिया जावे एवं उपस्थित नहीं आने/दावा नहीं किये जाने पर सामान्य नियम दीवानी एवं फौजदारी 2018 के नियम 20 (39) के अनुसार न्यायालय द्वारा मूल दस्तावेजों को रोकने की अवधि के अवसान पश्चात दस्तावेज हेतु दावा नहीं किया है तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने हुए उक्त चैक, राशि रु-पचास हजार का नष्ट कर निस्तारित कर दिया जावे।

अतः उक्त चैक, राशि रु-50,000/- का प्रार्थी/वादी भारत कारपेट लिमिटेड, 28-बी, क्नाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दिनांक 17-08-2026 को जिला न्यायालय, बीकानेर के कार्यालय से प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं आते हैं तो उक्त चैक सामान्य नियम दीवानी एवं फौजदारी 2018 के नियम 20(39) के अनुसार न्यायालय द्वारा मूल दस्तावेजों को रोकने की अवधि के अवसान पश्चात दस्तावेज हेतु दावा नहीं किया है तो यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर उक्त चैक, राशि रु-पचास हजार का नष्ट कर निस्तारित कर दिया जावेगा।

602

31/7/26

प्रभारी अधिकारी,

केन्द्रीयकृत डबल लॉक मालखाना,
जिला न्यायालय, बीकानेर।

क्रमांक :- CIVIL/2026/603

दिनांक :- 29.7.26

प्रेषक :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बीकानेर ।

प्रेषिति :- प्रभारी अधिकारी,
डबल लॉक मालखाना,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
बीकानेर

विषय :- प्रकरण सं. 13/1973 अनवानी भारत कोरपेट लि. बनाम स्टेट वूलन
मिल्स तारीख फैसला 22.12.1973 में मालखाना संख्या 11/73 पर
जमा चैक तादादी 50,000/- रुपये के निस्तारण बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नंबरी दीवानी प्रकरण संख्या 13/73 भारत कोरपेट लि. बनाम स्टेट वूलन मिल्स तारीख फैसला 22.12.1973 में डबल लॉक मालखाना संख्या 11/1973 पर जमा चैक राशि 50,000/- रुपये प्रार्थी/वादी पक्ष द्वारा जरिये वकील प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण का अंतिम निर्णय हो चुका है। अतः आपको आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में जमा चैक तादादी 50,000/- रुपये को प्रार्थी/वादी भारत कोरपेट लि., 28-बी, क्वांट पलेस, नई दिल्ली को वएवज रसीद लौटा दिया जाये।

यदि प्रार्थी/वादी आप द्वारा निर्धारित की गई दिनांक को उक्त चैक प्राप्त करने हेतु उपस्थित ना आये तो सामान्य नियम दीवानी एवं फौजदारी 2018 के आदेश 42 नियम 02 (04) के अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमें मूल दस्तावेज दाखिल किये गये हैं, संबंधित न्यायालय द्वारा रोकने की अवधि के अवसान पर न्यायालय की वेबसाईट पर संबंधित को बुलाते हुए दस्तावेज लौटाने/नष्ट करने की सार्वजनिक सूचना प्रसारित करें कि यदि दस्तावेज दावा नहीं किया जाता है तो तदनुसार नष्ट किया जायेगा। ऐसा सूचना पत्र न्यायालय के सक्षम सहज दृश्य भाग पर चिपकाया जाये।

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बीकानेर